भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 472

दिनांक 06.02.2018/17 माघ, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

दोषसिद्धि दर

†472. डॉ॰ उदित राजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा जांच किए गए विभिन्न मामलों में वर्ष 2014 में जघन्य अपराधों के लिए दोषसिद्धि की दर काफी कम थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या न्यायालयों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा की गई घटिया जांच के कारण दोषसिद्धि दर कम रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार निम्न दोषसिद्धि दर के कारणों की पहचान करने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का विचार रखती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा भविष्य में समुचित जांच-पड़ताल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (ग): दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 के दौरान, जघन्य

अपराध के मामलों में दोष-सिद्धि की दर निम्नानुसार हैः-

अपराध शीर्ष	दोषसिद्धि की दर	
	दिल्ली	अखिल भारत
डकैती	**61.54%**	**22.70%**
हत्या	**52.30%**	**39.10%**
हत्या का प्रयास	**42.34%**	**26.90%**
लूटपाट	**41.12%**	**30.90%**
दंगा	**35.18%**	**17.20%**
बलात्कार	**34.50%**	**28.00%**
सेंधमारी	**37.10%**	**34.90%**
चोरी	**35.21%**	**35.90%**

औसत दोषसिद्धि की दर को बहुत कम नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वरि. स्थायी कांडसेल (अपराध) के अधीन बनाई गई एक स्थायी समिति मौजूद है जो पुलिस प्राधिकारियों द्वारा समुचित फॉलो-अप के लिए अभियोजन मामलों हेतु सभी दोषमुक्ति आदेशों का विश्लेषण एवं जांच करती हैं तथा असफलता के कारणों को रिकॉर्ड करते हैं।

(घ): अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्वेषण अधिकारियों (आई ओ) के लिए नियमित रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, अन्वेषण के वैज्ञानिक एवं आधुनिक पद्धति संबंधी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालयों में अन्वेषण अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा सभी मामलों में समय-समय पर अन्वेषण की निगरानी, पुलिस स्टेशन में अन्वेषण अधिकारियों को दिशानिर्देश देने के लिए दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में निरीक्षक (अन्वेषण) की तैनाती और सभी मामलों के अन्वेषण की प्रगति की निगरानी एवं सनसनीखेज अपराध के मामलों का अन्वेषण विशिष्ट इकाई यथा अपराध शाखा/विशिष्ट शाखा जिनके पास अत्यंत पेशेवर एवं अनुभवी अन्वेषण अधिकारी हैं, द्वारा करवाना आदि शामिल हैं।